(116)

न्यायालय माननीय श्री राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0.............निगरानी — 1316-III/09

गिरिजा शंकर पुत्र श्री मलूक चन्द्र जाति ब्राह्मण
निवासी ब्राह्मण मोहल्ला कराहल तहसील कराहल
परगना व जिला श्योपुर (म0प्र0)
....आवेदक / अपी0

बनाम

1— नारायण लाल पुत्र श्री सूरज लाल
2— केदारी लाल पुत्र श्री मुरारी लाल
3— जबाहर लाल पुत्र श्री मुरारी लाल
4— मु0 चन्दा बेबा श्री मुरारी लाल
5— सकुन पुत्री श्री मुरारी लाल

सभी जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मण मोहल्ला कराहल
जिला श्योपुर ....मूल अनावेदक

6— सतीश पुत्र श्री नारायण लाल
7— रामनिवास पुत्र श्री नारायण लाल
8— ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायण लाल
9— मिथलेश पुत्री श्री नारायण लाल
10— प्रभा पुत्री श्री नारायण लाल
11— पतो बाई पुत्री श्री नारायण लाल
12— गायत्री पुत्री श्री मलूक चन्द्र
13— कली बाई पुत्री श्री मलूक चन्द्र
14— गयाबाई पुत्री श्री मलूक चन्द्र

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी कराहल जिला श्योपुर
....तरतीवी अनावेदक

द्वारा आज दि0 25-9-09 को प्रस्तुत ।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी / विरूद्ध आदेश दिनांकित 17—9—09 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 101 / 07—08 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी / 1316–तीन / 2009 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
15.02.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री शिवकुमार शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 101 / निगरानी / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 17.9.09 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्वा कराहल में स्थित विवादित भूमि रकवा 16 बीघा भूमि जिसकी अभिलखित भूमिस्वामिनी मथुराबाई बेवा कालूराम थी। महिला मथुराबाई के फौत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 25 / 1991–92 / बी–121 में पारित आदेश दिनांक 11.3.92 द्वारा अनावेदकगण के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.36.92 से परिवेदित होकर निगरनीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 5 / 2005–06 / अपील दर्ज कर उसमें दिनांक 26.9.07 आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 03 / 2007–08 / निगरानी पर दर्ज की	

जाकर दिनांक 11.2.08 को निगरानी अस्वीकार की गई इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 101 / 2007–08 / निगरानी पर दर्ज होकर जिसमें दिनांक 17.9.2009 को निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क उन्हीं बिन्दुओं प्रस्तुत किये गये हैं जो निगरानी मेमों में अंकित है। प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में अंतिम आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्व द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में होना चाहिये थी लेकिन आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई। द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 17.9.2009 में स्पष्ट लेख किया गया है कि आवेदक चाहे तो वह द्वितीय अपील कर सकता है। अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है, तो आवेदक को चाहिये था कि वह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपना पक्ष समर्थन कर सकता था लेकिन अपील प्रस्तुत न करते हुये इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जो प्रचलन योग्य नहीं है।

4–प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि

आवेदक द्वारा धाराओं का ज्ञान नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों में निगरानी प्रस्तुत की गई है और उसके अधिवक्ता द्वारा जैसा बताया गया है वह उसी प्रकार न्यायालयों में निगरानी प्रस्तुत करता चला आ रहा है इस त्रुटि के लिये पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपर आयुक्त चाहते तो वह निगरानी को अपील में प्रत्यावर्तित कर गुण दोष पर निराकरण किया जा सकता था, जिससे पक्षकार को न्याय मिल सकता था । **संहिता की धारा–42 तकनीकी त्रुटि से आदेश निरस्त नहीं होता है।**

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 101/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 17.9.09 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रकरण को निगरानी से अपील में प्रत्यावर्तित कर गुण दोष पर उभयपक्ष को आहूत कर निराकरण करें।

5–पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रतियां सहित वापिस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य